

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर

कार्यालय आदेश क्रमांक-स्टेनो/2026/19

दिनांक- 07.09.2026

कार्यालय आदेश

मैं, मीनाक्षी तिवाड़ी, आरजेएस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen/XII/08/90/1995 दिनांक 05.09.2026 की पालना में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर के आदेश क्रमांक स्था./2026/284 दिनांक 06.09.2026 के द्वारा बीकानेर मुख्यालय स्थित न्यायिक न्यायालयों में दिनांक 09-09-2026 को शासकीय अवकाश घोषित किए जाने से उक्त दिवस बीकानेर जिले के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं कार्यों के निस्तारणार्थ निम्न अधिकारी को अधिकृत करती हूँ जो कि माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर के परिपत्र संख्या स्था./2026/279 दिनांकित 01.09.2026 के अनुसार अपने-अपने न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य सम्पादित करेंगे तथा यदि किसी कारणवश राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार राजकीय अवकाश के अगले ही दिन अचानक राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे घोषित राजकीय अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, वही अधिकारी ऐसे घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान आने वाले इन्क्वेस्ट व मृत्युकालीन बयान व अन्य विशेष कार्य भी उसी अधिकारी के द्वारा सम्पादित किए जायेंगे, जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है।

अवकाश दिवस जिसमें पीठासीन अधिकारी कार्य करेंगे	पीठासीन अधिकारी का नाम	पीठासीन अधिकारी के मोबाईल नम्बर	न्यायालय का नाम जिसके पीठासीन अधिकारी अवकाश दिवस में कार्य करेंगे।
09 सितंबर, 2026	श्रीमती निधि तुनवाल	9929497468	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बीकानेर

नोट:- (1) उक्त राजकीय अवकाशों के दिन ताल्लुका मुख्यालय पर उपस्थित अधिकारी अपने थाना क्षेत्र के रिमाण्ड दे सकेंगे।

(2) रिमाण्ड आवेदन अवकाशकालीन न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि के दौरान ही पेश किये जायेंगे तथा अनावश्यक विलम्ब करने पर संबंधित थानाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

(3) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बीकानेर न्यायक्षेत्र की सीमाओं के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्रों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले अभियुक्त/अभियुक्तों के संबंध में भी नियमानुसार व विधिनुसार न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की कार्यवाही अधिकृत अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेंगे।

**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।**

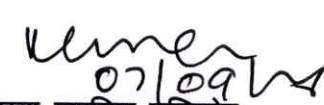
पत्र प्रेषण क्रमांक:-स्टेनो/2026/873

दिनांक:- 07.09.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर को सूचनार्थ।
- 2 श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बीकानेर।
- 3 न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बीकानेर
- 4 कार्यालय उपनिदेशक अभियोजन विभाग, बीकानेर
- 5 अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, बीकानेर।

6 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, बीकानेर को वेबसाइट पर अपलोड करने व उपरोक्त को जरिये ई-मेल प्रेषित करने हेतु।


07/09/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर